[illegible] प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत नियम 69 R.T. Act पेश किया, प्रति
वकील प्रार्थी को दिलाई गई। उक्त दोनों
प्रार्थना-पत्र की बहस विचारार्थ की गई।
वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में दलील दी कि
पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दोनों
पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं बनाई, धारा
251A के प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक के नियम
रैंक के अधिकारी से रिपोर्ट नहीं ली जा
सकती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस
में इशारा की मौके की स्थिति की रिपोर्ट
पटवारी हल्का की होनी है, रेकार्ड में रास्ता
नहीं है, रास्ता दिलवाया जावे। मैंने
पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता
की बहस पर मनन किया, अप्रार्थी
अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र नियम 69 R.T.A.
स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में
तहसीलदार देसूरी से रिपोर्ट तलब हो।
पत्रावली दिनांक 3.5.16 को पेश हो।

28/6/16 पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प सादड़ी [illegible]
तहसीलदार देसूरी ने मौके पर
रास्ता निकालने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी
है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
सुनाया गया कि पत्रावली [illegible] कर [illegible]
होकर [illegible] कम हो।

[illegible]

SDO

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (न्याय आपके द्वार कैम्प–सादडी)

बईजलास– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 31/2013

प्रार्थी :–

बनाम–

अप्रार्थीगण–

भंवरीया पुत्र जेठा
जाति– लौहार, निवासी–
सादडी, तहसील– देसूरी

1– जगदीश प्रसाद पुत्र फुटरमल,
2– मुकुल पुत्र अंबाशंकर, जातिगण– गोरवाल ब्राहमण, निवासीगण–सादडी
3– रेखा पत्नि संजय बोहरा, जाति– बोहरा, निवासी– सादडी,
4– रतनबाई पत्नि छोगारामजी, जाति लौहार
5– पोनीबाई पत्नि नारायणलाल,
6– पवनी पत्नि नगराज, जातिगण– प्रजापत, निवासीगण– सादडी
7– राज0 सरकार भूमिधारी जरिये– तहसीलदार, देसूरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

प्रार्थी भंवरिया पुत्र जेठा
अप्रार्थी सं0–7 तहसीलदार, देसूरी

–: निर्णय :– दिनांक–29/06/2016

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी खातेदारी कृषि भूमि मौजा सरहद ग्राम– सादडी–1 पटवार क्षेत्र– सादडी चक–1, तहसील– देसूरी मे खसरा नम्बर– 1237 रकबा– 1.6700 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल लगान रूपयां– 11.69 विद्यमान है, जिसके आगे खसरा नम्बर– 1238 व 1239 अप्रार्थीगण की खातेदारी की विद्यमान है। प्रार्थी अपनी आराजी मे जाने हेतू अप्रार्थीगण की आराजियात खसरा नम्बर– 1238 एवं 1239 मे से होकर प्रार्थी एवं उसके पूर्वज पिढीयों से आते जाते रहे है व कृषि भूमि उपज एवं घास आदि लाने ले जाने हेतू एवं खड़ाई हेतु टैक्टर भी लाते ले जाते रहे है किन्तु राजस्व रेकर्ड मे इन खसरा नम्बर– 1238 व 1239 मे से होकर रास्ता दर्ज नही है। रास्ता का आवागमन प्रेम संबंधो से चला आ रहा है किन्तु यदि अप्रार्थीगण ने आवागमन रोक दिया तो प्रार्थी अपनी आराजी मे काश्त करने से वंचित हो जायेगा,

–––कमशः पेज– 2 पर..........

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

जिससे प्रार्थी को काफी अपूर्णनीय क्षति होगी, जिससे प्रार्थी सद्‌भावना से अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर–1237 मे आने जाने हेतू मेरी जमीन व सडक के बीच स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 1238 या 1239 मे से होकर नया रास्ता हस्ब धारा– 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कायम कराना चाहता है, जिसके अलावा प्रार्थी की खातेदारी की आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नही है। जिस हेतू प्रावधान अनुसार श्रीमान् के द्वारा निर्धारित मुआवजा अदा करने हेतू प्रार्थी तैयार है अतः मुझ प्रार्थी को मेरी खातेदारी जमीन मे आने जाने हेतू मौजा सादडी–1 के अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर– 1238 या 1239 मे से होकर रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। सभी अप्रार्थीगण को तामिल हो चुकी है। अप्रार्थीगण संख्या– 3 से 6 के विरूद्ध बावजूद तामील के उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का रास्ता खसरा नम्बर– 1238, 1239 मे नही था। प्रार्थी खसरा नम्बरउ– 1245 से होकर आता जाता रहा है जो रास्ता खसरा नम्बर– 1269 मे मिलता है। प्रार्थी खसरा नम्बर– 1238 ,1239 मे से होकर नया रास्ता पाने का अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र व अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 का जबाब प्रस्तुत होने के पर वकील प्रार्थी के प्रा0पत्र पर मौके की जांच रिर्पोट तहसीलदार, देसूरी से मंगवाई गई। तहसीलदार, देसूरी द्वारा अपने पत्रांक– 4629 दिनांक– 29/06/2016 के अपनी जांच रिर्पोट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट , सादडी में पेश हुई। प्रार्थी भंवरियां उप0 होकर निवेदन किया कि मेरी जमीन मे आने जाने का रास्ता नही है, जिससे मैं अपनी जमीन मे काश्त नही कर पा रहा हूॅ एवं रोजी रोजगार से महरूम हो रहा हूॅ अतः मुझे रास्ता दिलाकर न्याय दिलाने की कृपा करावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध्य साक्ष्य का एवं तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन कर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आने जाने का कोई रास्ता नही है जिससे तहसीलदारजी, देसूरी द्वारा अपनी जांच रिर्पोट मे प्रस्तावित रास्ता मौजा सरहद ग्राम– सादडी–1 में स्थित खसरा नम्बर– 1238/1 मे दिया

---क्रमशः पेज– 3 पर..........

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रार्थी भंरिया भी अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतू खसरा नम्बर– 1238/1 मे ही रास्ता चाहता है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा सरहद ग्राम– सादडी चक–1 में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर–1237 मे आने जाने हेतू मौजा सादडी चक–1 मे स्थित खसरा नम्बर– 1238/1 रकबा–0.0300 हैक्टर मे प्रार्थी के नये रास्ता का अधिकार मंजूर किया जाता है एवं तहसीलदार, देसूरी की रिर्पोट अनुसार इस कृषि भूमि की बाजार दर रूपयां– 26,55,375/– प्रति हैक्टर अनुसार उक्त नये रास्ता की भूमि रकबा– 0.0300 हैक्टर की कीमत रूपयां– 79,662/– बनती है, की दो गुणा राशि रूपयां– 1,59,324/– अक्षरे रूपये एक लाख उन्नसाठ हजार तीन सौ चौबीस मात्र प्रतिकर राशि तय की जाती है, जो उक्त प्रतिकर राशि प्रार्थी राज कोष मे जमा करावे, जो राशि प्रतिकर स्वरूप इसके खातेदार अप्रार्थी संख्या–4 से लगाय 6 रतनबाई पत्नि छोगाराम लुहार, पोनीबाई पत्नि नारायणलाल, प्रजापत, पवनी पत्नि नगराज प्रजापत प्राप्त करेगे। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि जमा कराने के पश्चात् उक्त भूमि ख0नं0– 1238/1 रकबा– 0.03 हैक्टर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गै0मु0 रास्ता दर्ज की जावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता होगा, जिस पर से कोई पडौसी खातेदार आ जा सकेगे। आदेश की पालना हेतू तहसीलदार, देसूरी को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,देसूरी

निर्णय/आदेश मजमा ए–आम कैम्प, सादडी मे आज दिनांक– 29/06/2016 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,देसूरी